झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

सी0एम0पी0 संख्या–286 / 2019

राकेश चौबे ..... याचिकाकर्त्ता

बनाम

1. झारखण्ड राज्य
2. उपायुक्त, बोकारो।
3. अपर समाहर्ता, बोकारो।
4. अंचल अधिकारी, चंद्रपुरा, जिला–बोकारो।
5. अंचल निरीक्षक, चंद्रपुरा, जिला–बोकारो ..... विपक्षीगण

कोरमः **माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश शंकर**

याचिकाकर्त्ता के लिए : श्री राहुल कुमार, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री पी0सी0 रॉय, एस0सी0 (एल एंड सी)–I

आदेश संख्या 03 दिनांक 26.06.2020

यह मामला वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से लिया गया है।

यह सी0एम0पी0 को 22 नवंबर, 2017 के आदेश के पैरा सं0 1 और 7 में हुई टाइपोग्राफिकल त्रुटि के संशोधन की मांग करते हुए दायर किया गया है, जो इस न्यायालय द्वारा डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0 5330 / 2014 में प्रतिवादी संख्या 4 के पदनाम के संबंध में पारित किया गया है, जिसे गलती से 'सर्किल ऑफिसर, चंद्रपुरा' के बजाय 'सर्कल ऑफिसर, चौपारन' के रूप में टाइप किया गया है, साथ ही 22 नवंबर, 2014 के आदेश के पूर्वोक्त पैराग्राफ में भूखंड संख्या–837 के बदले में गलती से 'प्लॉट संख्या 887' का उल्लेख किया गया है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0 5330/2014 के दिनांक 22 नवंबर, 2017 के आदेश में प्रतिवादी सं0–4 के पदनाम का उल्लेख पैरा सं0 1 और 7 की दूसरी पंक्ति में किया गया है। विद्वान अधिवक्ता आगे कहते हैं कि उक्त आदेश में उल्लिखित पक्षों की सरणी के अवलोकन पर यह स्पष्ट होगा कि प्रतिवादी सं0–4 के पदनाम को 'सर्किल ऑफिसर, चंद्रपुरा' के रूप में उल्लेख किया गया है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि पैरा संख्या 1 के साथ–साथ रिट याचिका के प्रार्थना भाग में याचिकाकर्ता ने अनजाने में प्लॉट संख्या को '837' के स्थान पर '887' बताया और उक्त टाइपोग्राफिकल त्रुटि के कारण, प्लॉट संख्या के संबंध में पूर्वोक्त गलती 22 नवंबर, 2017 के आदेश के पैरा सं0 1 और 7 में हुई है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, हालांकि, यह स्वीकार करते हैं कि 2 मई, 2011 को भूमि कब्जे प्रमाण पत्र में, जो याचिका के अनुलग्नक–2 के रूप में संलग्न किया गया है, भूखंड संख्या को '837' के रूप में उल्लेख किया गया है। इस प्रकार, यह प्रार्थना की जाती है कि प्रतिवादी सं0–4 के पदनाम के संबंध में 22 नवंबर, 2017 के आदेश के प्रासंगिक पैराग्राफ में होने वाली पूर्वोक्त गलतियों और भूखंड संख्या को सुधारा जा सकता है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता रिट याचिका के संबंधित भाग में हुई उक्त टंकण त्रुटि के लिए बिना शर्त माफी चाहते हैं।

पार्टियों के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुनने और याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता के सबमिशन को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी सं0–4 का पदनाम और 22 नवंबर, 2017 के आदेश के पैरा सं0–1 और 7 में उल्लिखित भूखंड संख्या डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0 5330/2014 में पारित किया गया, जिसे 'सर्किल ऑफिसर, चौपारन' और 'प्लॉट संख्या 887' के स्थान पर 'सर्किल ऑफिसर, चन्द्रपुरा' और 'प्लॉट संख्या 837' के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।

22 नवंबर, 2017 के आदेश को उस सीमा तक संशोधित किया गया है।

यह सी0एम0पी0, तदनुसार, निपटाया गया है।

(राजेश शंकर, न्याया0)